न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 17/2023 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2023/35

1. भीम सैन
2. लालचन्द
3. दलीप कुमार
4. चुन्नी

पिसरान् हनुमान जाति कुम्हार साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हनुमान जाति कुम्हार साकिन भोजेवाला तहसील सूतरगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री मदन सुरोलिया अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजासर के खसरा नं. 63 में 26 बीघा (3.063 हैक्टयर) अपीलांट 01 से 04 व रेस्पोडेट 1 के पिता हनुमान पुत्र भूराराम को टीसी आवंटन हुई। हनुमान पुत्र भूराराम के देहान्त के पश्चात तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2008 द्वारा उक्त वादगत भूमि के खातेदारी अधिकारी अपीलांट संख्या 1 ता 4 को दे दिये। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के खातेदारी आदेश दिनांक 28.07.2008 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2023 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए कहां कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2008 निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश के आधार दर्ज इंतकाल संख्या 322 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 21.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि चक रोही भोजेवाला का खसरा नंबर 63 में 26 बीघा भूमि का आवंटन पिता हनुमान पुत्र भूराराम को टीसी आवंटन हुई। अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र भूराराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का काब्जा काश्त व प्रावधान के अनुसार पुख्ता आवंटन दिनांक 03.10.2007 को अपीलांट्स के पक्ष में कर दिया गया तथा पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त वादगत भूमि की तमाम किश्ते जमा करवा दी गई थी। उक्त वादगत भूमि के पुख्ता आवंटन के पश्चात इंतकाल संख्या 322 द्वारा उक्त भूमि को अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गई। अपीलांट्स के पुख्ता आवंटन को कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चैलेन्ज नही किया था अगर पुख्ता आवंटन से रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति थी तो उक्त पुख्ता आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी थी जो नही की गई है। इस कारण ख़ातेदारी सनद् के खिलाफ अपील पेश नही हो सकती थी क्योंकि सनद् अपने आप में कोई आदेश नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 के तहत बिना प्रावधान सनद् के खिलाफ अपील पेश की है, जो मैन्टेनेबल नही थी। खातेदारी मिलने पर टिनेन्सी एक्ट लागू हो जाता है इस कारण सक्षम न्यायालय में दावा पेश करके ही रेस्पोडेन्ट कोई अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस संबंध न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज संख्या 9 प्रस्तुत हैं। उक्त प्रकरण में दावे की कोई डिक्री से खातेदारी सनद् प्राप्त नही हुई थी। इस कारण आदेश दिनांक 27.07.2008 व इंतकाल संख्या 322 मात्र एक्जिक्यूशन थे, इस कारण एक्जिक्यूशन के खिलाफ कोई अपील नही होती है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2008 पेज नं. 755 प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने खातेदारी सनद् व इंतकाल को निरस्त कर सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है। उक्त प्रकरण में सुनवाई किस बाबत् होगी पुख्ता आवंटन आज भी बदस्तूर है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अधूरा एवं निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.01.2023 को निरस्त फरमायें व खातेदारी सनद् व इंतकाल को यथावत रखा जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता हनुमान पुत्र भूराराम को रोही भोजेवाला के खसरा नंबर 63 में 26 बीघा भूमि आराजी काश्त एक साल के लिए आवंटित हुई। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पिता हनुमान पुत्र भूराराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि अपीलांट संख्या 1 ता 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त वादगत भूमि के पुख्ता आवंटन अपीलांट संख्या 1 ता 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को धोखे में रखकर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट को ही भूमि आंवटत हुई जबकि हनुमान मूल काश्तकार के पांच पुत्र अपीलांट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सभी को आवंटन बहिस्सा बराबर होनी चाहिए थी। उक्त वादगत भूमि के संबंध पेश किया गया तथाकथित शपथ–पत्र अन्य वारिस बहिनों का भी प्रस्तुत किया गया, जिनमें दो बहिने धापी एवं माना देवी नाबालिग थी, जो शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकारिक नही थी। आवंटन अधिकारी के समक्ष भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई सुनवाई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही की गई और ना ही कोई बयान लिए गए, जो आंवटन अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त पुख्ता आंवटन को आधार मानकर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा बिना जांच बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुने आदेश दिनांक 28.07.2008 उक्त वादगत भूमि की खातेदारी अपीलांट संख्या 1 ता 4 को प्रदान की है, जो कि क्षेत्राधिकारविहीन मनमाने तरीके से प्रदान की गई हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त वादगत भूमि में कभी अपने अधिकार नही छोड़े। इस प्रकार मूल काश्तकार हनुमान के वारिस होने से वादगत भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्से का हक बनता है। इसलिए अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 21.02.2023 को यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2023 पारित करते हुए तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा जारी खातेदारी अधिकार पत्र दिनांक 28.07.2008 तथा इंतकाल संख्या 322 को निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आदेश को निरस्त करने की बजाय एक्जीक्यूशन आदेश को निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित नही है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार समुचित कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर